

न्यायालय अपर कलेक्टर (परिवर्तित शाखा) रायपुर (छ.ग)

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कले. रा.का.मामला क्र./751ए-2/वर्ष 2014-15
अ.वि.आ./रा.का.मामला क्र./4877ए-2/वर्ष 2014-15
प्रति.

आदेश दिनांक 09.10.2015

सिंधानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंधानिया आत्मज श्री श्यामलाल सिंधानिया, रजि. कार्या. आमानाका जी.ई. रोड, रायपुर, आफिस तृतीय एवं चतुर्थ तल, श्याम चैम्बर, हीरापुर, रोड रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम— गुमा प.ह.न.— 102/32 तहसील व जिला— रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है।
 ख.न. परिवर्तित पूर्व राजस्व संशोधित राजस्व भू-राजस्व जो निवास व्यवसाय हेतु आदि भूमि का कृषि भूमि अकृषि निर्धारित हुआ निर्धारण किया गया
 रकबा की दर पर निर्धारण हुआ।

खसरा नम्बर—188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 196/1, 198/1, 198/2, 199, 200/2, 200/3, 259/8, 259/9, 261/2, 261/8, 261/9, 261/10, 263/23
 (आवासीय, व्यवसायिक(शॉप), एवं शैक्षणिक प्रयोजन हेतु)
 प.ह.न.102/32 ग्राम— गुमा प्रयोजन हेतु रकबा वर्गफुट में(अंको में)—5,07,442व.फु.भूमि भू-राजस्व 67,226=00,रुपये 05 प्रतिशत अधोसंरचना विकासकर एवं 5 प्रतिशत उपकर रकबा (शब्दों में)—पौँच लाख सात हजार चार सौ वियालिस वर्गफुट मात्र,

टीप: उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर, को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारित भू-राजस्व रुपये—67,226=00रुपये प्रतिवर्ष की दर से वर्ष एवं 2014-15 से निम्नानुसार—

आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजन
49. भू-राजस्व रुपये	63,240=00 रु0	429=00 रु0
50. प्रीमियम	1,80,840=00रु0	1050=00 रु0
51. अधोसंरचना विकासकर	3162=00रु0	21=00 रु0
52. पर्यावरण उपकर	3162=00रु0	21=00 रु0
53. पंचायत उपकर —	31,620=00रु0,	215=00रु0
54. अर्थदण्ड —	निरंक,	निरंक,

योग राशि :-2,96,412=00 असारी— दो लाख छियान्ये हजार चार सौ बाहु रुपये मात्र। प्रस्तुत भूल आलान क्रमांक:- जे/025232560, 23892223, 24109822, दिनांक 13.10.2015 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में 172 (1) के तहत पुनर्निर्धारण अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तों के अधीन माना जावे।

- प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुनर्निर्धारण छ.ग. शासन के राजपत्र दिनांक 19.08.2013 प्रकाशित प्रावधानों के अनुलेप किया गया है। इसे अनुज्ञा ना माना जावे।
- आदेक भवन एवं किसी भी प्रकार से निर्माण हेतु अभिविन्यास अनुमोदित कराके, संयुक्त संचालक, नगर/ग्रामीण निवेश रायपुर से लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग आदि यथा लागू हो से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगे।
- बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे।
- बिना अनुमति के उप विभाजन न करें।
- भूमि स्वामी द्वारा शर्तों के उल्लंघन करनें पर उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र./29/ वाचक/अपर कले./2015

अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर शाखा
रायपुर (छ.ग.)
रायपुर दिनांक 10.2015

प्रतिलिपि— 1.अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/आरंग—अभनपुर को आदेश क्र./क/परि.मु.लि.अ.वि.अ.दिनांक 11.02.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

P@t



Mr. Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर (परिवर्तित शाखा) रायपुर (छोगो)

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कले. रा.का.मामला क्र./752 ए-2/वर्ष 2014-15
अ.वि.अ./रा.का.मामला क्र./4878 ए-2/वर्ष 2014-15
प्रति,

आदेश दिनांक 30.09.2015

मेसर्स सिंघानिया बिल्डिंगकॉन प्रा० लिमिटेड, द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया, रजिस्टरेटेड कार्यालय आमनानाका जी० ई० रोड रायपुर, आफिस -तृतीय एवं चतुर्थ तल इथाम चेम्बर, हीरापुर रोड, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छोगो), द्वारा ग्राम बाना प०१००००-१०२/३१, रा०नि००००-धर्सांवा-एक, तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुभूचित के खण्ड ५ में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुस्तिकरण हो गई है

ख.न.	परिवर्तित पूर्व आदि भूमि का रकबा	राजस्व कृषि भूमि की दर	संशोधित राजस्व अकृषि पर निधारण हुआ	भू-राजस्व जो निर्धारित हुआ	निवास व्यवसाय हेतु निर्धारण किया गया

खसरा नम्बर:- ३६३/१, ३६३/२, ३६४/५, ३६४/६, ३६५/२, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१/१, ३९१/२, ३९२/२, ३९२/३, ३९२/४, ३९२/५, ३९३, ३९४/१, ३९४/२, ३९४/३, ३९४/४, ३९४/६, ३९४/७,

(आवासीय / व्यवसायिक / शैक्षणिक प्रयोजन)

प.ह.न.102/३१ ग्राम-बाना,प्रयोजन हेतु रकबा वर्गफुट में(अंको में)-४,४१,६९८ व.फु.भूमि भू-राजस्व ५८,२८६=००,रुपय ०५ प्रतिशत अधोसंरचना विकासकर एवं ५ प्रतिशत उपकर रकबा (शब्दों में):-चार लाख इक्यालिस हजार छ: सौ अन्तान्ब वर्गफुट मात्र,

टीप: उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारित भू-राजस्व रूपये:-५८,२८६रुपये प्रतिवर्ष की दर से वर्ष एवं २०१४-१५ से निम्नानुसार-

आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजन
१. भू-राजस्व रूपये	५५,५४६=०० रु०	१,५१३=००रु०
२. प्रीमियम	१,५८,८४०=००रु०	३,७००=००रु०
३. अधोसंरचना विकासकर	२,७७७=००रु०	७६=००रु०
४. पर्यावरण उपकर	२,७७७=००रु०	७६=००रु०
५. पंचायत उपकर	२७,७७३=००रु०	७५६=००रु०
६. अर्थदण्ड	निरंक.	निरंक.

योग राशि :-२,५७,८३६=०० अक्षरी- दो लाख सन्तावन हजार आठ सौ छत्तीस रुपये मात्र। प्रस्तुत मूल चालान क्रमांक:- १३१०२७६६, १४२०५९७५, १६७४१५२७, दिनांक ०३.१०.२०१५ को भारतीय रेटेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में १७२ (१) के तहत पुनर्निर्धारण अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तों के अधीन माना जावे।

- टीप- १. प्रकरण में धारा ५९ (२) के तहत पुनर्निर्धारण छ.ग. शासन के राजपत्र दिनांक १९.०८.२०१३ प्रकाशित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसे अनुज्ञा ना माना जावे।
 2. आवेदक भवन एवं किसी भी प्रकार से निर्माण हेतु अभिविन्यास अनुमोदित कराके, संयुक्त संचालक, नगर/ग्रामीण निवेश रायपुर से लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग आदि यथा लागू हो से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेग।
 3. बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे।
 4. बिना अनुमति के उप विभाजन न करे।
 5. भूमि स्वामी द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वभैव निरस्त माना जावेगा।

क्र./०९/ वाचक/अपर कले./2015

प्रतिलिपि- १.अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/आरंग-अभनपुर को आदेश क्र./क/परि.मु.लि.अ.वि.अ.दिनांक ११.०२.२०१३ के संदर्भ में सूचनार्थ।

For, Singanania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)

